संख्या-37/2026/ 730/2026-001-27-10002(002)/11/2025-10

प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नलकूप (पूर्व), अयोध्या परिक्षेत्र में विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार की 16 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-999/03-72 एच.एन./नलकूप खण्ड-बस्ती 47 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-995/03-72 एच.ओ./नलकूप खण्ड-बस्ती 52 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-991/03-72 एच.पी./नलकूप खण्ड बहराइच 18 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-1004/03-72 एच.क्यू./नलकूप खण्ड-2 देवरिया 57 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-994/03-72 एच.आर./नलकूप खण्ड संतकबीरनगर 55 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-987/03-72 एच.एस./अमेठी 56 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-1003/03-72 एच.टी./नलकूप खण्ड-2 देवरिया 78 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-1001/03-72 एच.यू./नलकूप खण्ड महराजगंज 33 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-1002/03-72 एच.वी./गोरखपुर 33 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-989/03-72 एच.डब्ल्यू./बाराबंकी एवं रूदौली 52 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-990/03-72 एच.एक्स./बाराबंकी एवं रूदौली 58 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-988/03-72 एच.वाई./बाराबंकीय एवं रूदौली 42 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-986/03-72 एच.जेड./न0ख-प्रथम गोरखपुर 54 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-993/03-72 आई.ए./नलकूप खण्ड बलरामपुर 30 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-1000/03-72 आई.बी./नलकूप खण्ड सिद्धार्थनगर 54 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026, पत्रांक-1000/03-72 आई.बी./नलकूप खण्ड, सिद्धार्थनगर 54 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 21.04.2026 एवं पत्रांक-992/03-72 आई.सी./गोण्डा 70 राजकीय नलकूप आधु0/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 22.04.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नलकूप (पूर्व), अयोध्या परिक्षेत्र में विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार की निम्न 16 परियोजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-102-03-0317-24 ''राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार'' में प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 15,18,68,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़ अट्ठारह लाख अड़सठ हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट (परियोजना हेतु धनराशि)	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं0/ लेखा शीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	नलकूप खण्ड, बस्ती के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 47 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली (लाइन गूल) के जीर्णोद्वार एवं पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	106.44	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	212.89 (a)/ 180.08 (b)	212.50	0.39	106.45	106.05	94-4702-102-03-0317-24	106.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	नलकूप खण्ड, बस्ती के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 52 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली (पाइप लाइन) के जीर्णोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	65.42	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	130.84 (a)/ 110.63 (b)	130.54	0.30	65.42	65.12	94-4702-102-03-0317-24	65.12
3	नलकूप खण्ड-नानपारा, बहराइच के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 18 अदद् राजकीय नलकूपों (लाइन गूल) की क्षतिग्रस्त जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	51.44	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	102.88 (a)/ 86.97 (b)	102.62	0.26	51.44	51.18	94-4702-102-03-0317-24	51.18
4	नलकूप खण्ड-द्वितीय, देवरिया सलेमपुर के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 57 अदद् राजकीय नलकूपों (लाइन गूल) के जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	174.96	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	349.93 (a)/ 295.76 (b)	349.00	0.93	174.97	174.03	94-4702-102-03-0317-24	174.03
5	नलकूप खण्ड-सन्तकबीर नगर के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 55 अदद् राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	104.91	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	209.82 (a)/ 177.19 (b)	209.08	0.74	104.91	104.17	94-4702-102-03-0317-24	104.17
6	जनपद-अमेठी के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 56 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	114.62	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	229.25 (a)/ 193.60 (b)	228.45	0.80	114.63	113.82	94-4702-102-03-0317-24	113.82
7	नलकूप खण्ड-द्वितीय, देवरिया सलेमपुर के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 78 अदद् राजकीय नलकूपों (पाइप लाइन) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	189.26	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	378.53 (a)/ 320.34 (b)	378.00	0.53	189.27	188.73	94-4702-102-03-0317-24	188.73
8	नलकूप खण्ड-महराजगंज के अन्तर्गत जनपद-महराजगंज में 33 अदद् राजकीय नलकूपों (1.5 क्यूसेक क्षमता) के जल वितरण प्रणाली की जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार एवं पम्प सेट/विद्युत उपकरणों की प्रतिस्थापना की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	47.31	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	94.63 (a)/ 79.66 (b)	94.00	0.63	47.32	46.68	94-4702-102-03-0317-24	46.68
9	जनपद-गोरखपुर के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 33 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली की जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार एवं पम्प सेट/विद्युत उपकरणों की प्रतिस्थापना की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	41.17	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	94.35 (a)/ 79.66 (b)	94.00	0.35	47.18	46.82	94-4702-102-03-0317-24	46.82

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10	नलकूप खण्ड-बाराबंकी के अन्तर्गत जनपद-बाराबंकी एवं रूदौली (अयोध्या) 52 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली (गूल) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	163.95	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	327.90 (a)/ 277.33 (b)	327.25	0.65	163.95	163.30	94-4702-102-03-0317-24	163.30
11	नलकूप खण्ड-बाराबंकी के अन्तर्गत जनपद-बाराबंकी एवं रूदौली (अयोध्या) 58 अदद् राजकीय नलकूपों (1.5 क्यूसेक) की जल वितरण प्रणाली (पाइप लाइन) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	86.97	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	173.94 (a)/ 147.12 (b)	173.60	0.34	86.97	86.63	94-4702-102-03-0317-24	86.63
12	नलकूप खण्ड-बाराबंकी के अन्तर्गत जनपद-बाराबंकी एवं रूदौली (अयोध्या) 42 अदद् राजकीय नलकूपों (1.0 क्यूसेक) की जल वितरण प्रणाली (पाइप लाइन) के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	44.13	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	88.26 (a)/ 74.70 (b)	88.15	0.11	44.13	44.02	94-4702-102-03-0317-24	44.02
13	नलकूप खण्ड-प्रथम, गोरखपुर के नियन्त्रणाधीन 1.5 क्यूसेक क्षमता के 4 कि.मी. तथा 2 कि.मी. पी.वी.सी. पाइप लाइन के 54 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं पुनरोद्धार तथा पम्प सेटों व विद्युत उपकरणों के प्रतिस्थापना	94-4702-102-03-0317-24	94.94	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	189.88 (a)/ 160.17 (b)	189.00	0.88	94.94	94.06	94-4702-102-03-0317-24	94.06
14	नलकूप खण्ड, बलरामपुर के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 30 अदद् राजकीय नलकूपों (पाइप लाईन) के जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	48.55	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	97.10 (a)/ 82.07 (b)	96.85	0.25	48.55	48.30	94-4702-102-03-0317-24	48.30
15	नलकूप खण्ड, सिद्वार्थनगर के अन्तर्गत 1.5 क्यूसेक क्षमता के 54 अदद् राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	102.46	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	204.92 (a)/ 173.15 (b)	204.32	0.60	102.46	101.86	94-4702-102-03-0317-24	101.86
16	जनपद गोण्डा में 1.0 क्यूसेक क्षमता के 70 अदद् राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार/पुनरोद्वार की परियोजना	94-4702-102-03-0317-24	84.41	100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025	168.81 (a)/ 142.64 (b)	168.31	0.50	84.40	83.91	94-4702-102-03-0317-24	83.91
कुल धनराशि-											**1518.68**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध-

प्रश्नगत परियोजनाओं/मद में पूर्व में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-100/2025/1776/2025-001-27-10002(002)/11/2025-10, दिनांक 28.11.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,18,68,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ अठारह लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020317 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 37 /2026/ 730(1)/2026-001-27-10002(002)/11/2025-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, अयोध्या।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।